## Order Sheet [Contd] Case No 262/2017 बी.ए

	Case No 202/	2017 91.5
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
24.07.2017	आवेदक / अभियुक्त अशोक चौरसिया की आरे से श्री जी०एस० गुर्जर अधिवक्ता। राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। पुलिस थाना एण्डोरी से अप०क० 64/17 धारा 377 भा.द.वि एवं धारा 7/8 पाक्सो अधिनियम की केश डायरी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत। अवेदक / अभियुक्त की ओर से श्री जी०एस० गुर्जर अधिवक्ता द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ० का प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि इसके अलावा अन्य कोई आवेदनपत्र इस प्रकार का किसी भी न्यायालय में न तो लंबित है और न ही निराकृत किया गया है। आवेदक / आरोपी की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र में प्रार्थना की है कि आवेदक के द्वारा किसी प्रकार को कोई घटना नहीं की है उसे साजिशन झूठे दुष्कर्म के मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी को फरियादिया के परिवार वालों ने मारपीट की और उसके उपर तेजाब भी डाला गया है जिससे उसके शरीर पर चोटों के निशान भी है। आवेदक जो कि छात्रावास अधीक्षक है और उसके द्वारा पीडित को उदण्डता करन के कारण छात्रावास से निकाल दिया है इसी कारण उसके विरुद्ध साजिशन झूठी रिपोर्ट की है। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः उसे उचित जमानत मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि आवेदक / अभियुक्त हॉस्टल का वार्डन है और उसने फरियादी व उसके परिवारवालों ने आवेदक / अभियुक्त के विक्ता च ही संशा को सकर फरियादी व उसके परिवारवालों ने आवेदक / अभियुक्त के गंभीर चोट है और उसका कोई इलाज नहीं किया जा रहा है। केश डायरी का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दिर्शित होता है कि आवेदक / अभियुक्त के वार्डन होते हुए अपने हॉस्टल में रह	
	रहे अवयस्क बच्चे के साथ आप्रकृतिक यौन कृत्य करने का गंभीर आरोप	

लगाया है। जहाँ तक आवेदक / अभियुक्त को आई चोट एवं उसके इलाज का संबंध है, इस संबंध में अधीक्षक उप जेल गोहद की ओर से एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दर्शाया गया है कि आरोपी का इलाज सी.एच.सी. गोहद में कराया जा रहा है, इस संबंध में दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गए है। साक्षी ही डॉ0 आलोक शर्मा की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें आवेदक / अभियुक्त को अस्थिभंग होना दर्शाया गया है, किन्तु साथ में यह भी दर्शाया गया है कि आहत का समुचित उपचार किया जा रहा है और आवेदक / आहत की हीलिंग उचित रूप से हो रही है तथ उसके जल्द ठीक होने की संभावना है।

अतः आवेदक / अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता, उपलब्ध रिकार्ड को देखते हुए आवेदक / अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः आवेदक / अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा ४३९ जा०फौ० निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाना को बापस की जावे। प्रकरण पूर्ववत अभियोगपत्र प्रस्तुति हेतु दिनांक 29.07.2017 को पेश

